न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर

दिनांक : 2/8/17

क्रमांक : कोर्ट/रास्ता/2017/ 6098
प्र. रु. - 1286/17

"आदेश"

तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के द्वारा रा.भू.रा. अधिनियम 1956 की धारा 131,132 व 136 के अधीन प्रा. पत्र प्रस्तुत कर ग्राम **चौढा** तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर के **खसरा नम्बर 23, 22, 21, 15 राजकीय/निजि भूमि** मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग आ रही भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु निवेदन किया।

प्रा. पत्र के सम्बंध में पटवारी **चौढा** व भू. अ. निरीक्षक **बुचकलां** की रिपोर्ट एवं संलग्न रेकर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर ग्राम **चौढा** तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर के **खसरा नम्बर 23, 22, 21, 15 राजकीय/निजि भूमि** में विद्यमान कदीमी रास्ते के सम्बंध में से परिशिष्ट **क** के अनुरूप किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः रा.भू.रा. अधिनियम 1956 धारा 131, 136 व रा.भू.अ. 1957 के नियम 60(एच) के तहत तहसीलदार **पीपाड शहर** का प्रा. पत्र स्वीकार कर ग्राम **चौढा** तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर के **खसरा नम्बर 23 में से 0.17.00 बीघा, खसरा नम्बर 22 में से 01.08.00 बीघा, खसरा नम्बर 21 में से 0.12.00 बीघा, खसरा नम्बर 15 में से 1.14.00 बीघा** किस्म गै. मु. रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्टा) ट्रेस में दुरूस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में अमल करने के आदेश तहसीलदार पीपाड शहर को दिये जाते है। माफिक परिशिष्ट **क** के रा. रेकर्ड में उक्त खसरा की किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
दिनांक :

क्रमांक : सम/2017/
प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालनार्थ।
3. भू अ. निरीक्षक .... को पालनार्थ।
4. पटवारी हल्का .... को रा. रेकर्ड में अमलदरामद व नक्शे में तरमीम की कार्यवही हेतु।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर